(213)

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक एफ3(20)नविवि/3/2011

जयपुर, दिनांक 23 MAY 2013

अधिसूचना

कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति–2010 के अन्तर्गत स्थापित हुए एवं स्थापित होने वाले सभी कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि उद्यमों को बिना किसी निवेश सीमा के, उक्त नीति के अन्तर्गत शीघ्र शुरू होने वाली परियोजना के समान विशेष प्रोत्साहन देने हेतु मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या 229/2012 जारी की गयी है।

उक्त आज्ञा की अनुपालना में राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 10 के उप–नियम (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा "कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति–2010" के अधीन स्थापित होने वाले सभी कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि उद्यमों की स्थापना के लिए कृषि भूमि के गैर–कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग की अनुज्ञा की दशा में उक्त नियमों के नियम 9 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत देय प्रीमियम शुल्क में शत–प्रतिशत छूट प्रदान करती है।

इस छूट का लाभ उन्ही उद्यमियों को मिलेगा जिनकी परियोजना की स्वीकृति "कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति–2010" के तहत 31 मार्च, 2014 से पूर्व प्राप्त होगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(गुरुदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय संसदीय सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग/कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त, उद्योग विभाग/कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
9. समस्त सभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
11. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समस्त स्थानीय निकायों को प्रसारित किये जाने हेतु।
13. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त, नगर विकास न्यास राजस्थान।
15. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना का राजपत्र के असाधारण अंक के आगामी दिनांक में प्रकाशित कराकर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
16. रक्षित पत्रावली।

23/5/2013

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय